न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 22/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री संदीप सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह

मेसर्स श्री कृष्णा डेयरी, वरूण सागर रोड निवासी जोन्सगंज, नरसिंहपुरा, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री हितेश सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 18.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2025 को जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल श्री कृष्णा डेयरी, वरूण सागर रोड अजमेर पहुॅचे । मौके पर 02 घरेलु एलपीजी सिलेण्डरों मय 11.8 किलोग्राम एलपीजी व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर वर्धमान गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री शाहरूख पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, निवासी किशनपुरा, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	032751	HP	16.6	26.6	10.0
2	231736	INDANE	15.5	17.3	1.8

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 11.8 किलोग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित । जवाब प्रस्तुत किया गया । सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.02.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 11.8 किलोग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 11.8 किलोग्राम एलपीजी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की अप्रार्थी निरक्षर है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में जानकारी नही थी। अप्रार्थी को क्षमा कर सिलेण्डर लौटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 20.2.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 11.8 किलोग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर